(d) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Processing of only tomatoes by Pepsi

281. KUMARI SUSHILA TIRIA : Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pepsi Project is not going to process fruits (oranges pears apples etc.) and would process only tomatoes.

(b) what are the reasons for not processing the fruits; and

(c) what are the items they are going to export to meet their export commitment and the approximate value of each item *2*

THE MINISTER OF TEXTILES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD YADAV) *i* (a) and (b) M/s. Punjab Agro Industries Corporation were granted a letter of intent on 19th/ 29th September 1988 (subsequently transferred to M/s. Pepsi Foods Pvt. Ltd.) for manufacture of, among other things, 12,000 tonnes of processed fruits and vegetables. The information sought for will be ascertained from M/s. Pepsi Foods Pvt. Ltd. and to the extent information is available, it will be laid on the Table of the House.

(c) One of the conditions of the letter of intent granted to M/s. Pepsi Foods Private Limited is that the project shall export 50% of their total turnover each year for a period of 10 years from the commencement of commercial production of which 40% will be from the company's own manufactured products and 10% from Select List products manufcatured by otheri. The foreign xchanfe i allow shall not be less than 5 times the foreign exchange out-flow of the project during the said 10-year period.

धागे (सूत) के मूल्यों में वृद्धि

282. **चौधरी हरि सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सभी प्रकार के सूती धागों के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो सूती धागे के मूल्यों में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि सूती धागे के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि से हथकरघा बुनकरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

वस्त्र मंत्री और साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव) : (क) जी हां। फिर भी पूर्व महीनों में सूती हैंक यार्न की कीमतें काफी वृद्धि होने के बाद अगस्त, 1989 से लगभग स्थिर हो गई।

(ख) हैंक यार्न की कीमतों में वृद्धि के रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय लागू किए हैं :—

(1) हथकरघा बुनकरों को मिल गेट कीमतों पर यार्न की सप्लाई के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के जरिए यार्न डिपो की स्थापना ;

(2) वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में हैंक यार्न कीमत मानीटरिंग समिति की स्थापना; और

(3) समुचित दरों पर सहकारी/राज्य क्षेत्र की मिलों की यार्न कीमतें निर्धारित करने के लिए यार्न कीमत निर्धारण

समितियां स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों को राजी करना ।

(ग) सूती यार्न की ऊंची कीमतों से कपड़े की विपणन क्षमता और बुनकरों की मजदूरी प्रभावित हुई है ।

Irrigation Schemes from Maharashtra Pending Clearance

283. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) what are the details of the irrigation schemes received from Maharashtra Government which are pending with the Central Government for clearance on account of inter-State disputes, financial disputes, environmental objections and Centre-State differences ;

(b) by when these schemes are likely to be cleared ;

(c) whether Government propose to convene a conference of officials and Ministers of Centre and the concerned States to sort out differences and expedite the clearance of such projects; and

(d) if so, what are the details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE {INDEPENDENT CHARGE OF THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI MANUBHAI KOTADIA) : (a) to (d) Out of 26 major and 46 medium projects received at the .Centra, techno-economic appraisal of 14 major and 18 medium projects has been completed after discussions with the State's officers where necessary. The rest of the projects have been returned to the State Government on account of major deficiencies in the proposals and for want of compliance of the remarks for over more than a year.

उच्च न्यायालयों में शस्त्रों को अपने साथ ले जाने की अनुमति-प्राप्त व्यक्ति

284. डा० रत्नाकर पाण्डेय: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के उच्च न्यायालयों में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कुछ अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को शस्त्र ले जाने की अनुमति प्रदान की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो यह अनुमति हैं किन-किन परिस्थितियों में प्रदान की जाती है ; और

(ग) क्या यह सच है कि हाल ही में एक निर्वाचित संसद सदस्य दिल्ली स्थित एक न्यायालय में सशस्त्र दाखिल हुए थे ; यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) :(क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी हां, 1-2-1990 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के न्यायालय में बलात प्रवेश किया गया था, जिसका ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कार्मिकों ने विरोध किया था । उच्चतम न्यायालय, गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा प्रबधों के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों का पालन करता है ।

पंजाब नेशनल बैंक, लुधियाना में डकैती से सम्बन्धित मामला

285. डा० रत्नाकर पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 12 फरवरी, 1987 को पंजाब नेशनल बैंक की लुधियाना (पंजाब) स्थित शाखा में आतंकवादियों द्वारा डाली गयी डकैती में 5,68,91,416 रुपये (पांच करोड़ अड़सठ लाख इक्यानव हजार चार सौ सोलह रुपये) के लूटे जाने से संबंधित मामले की सुनवाई को पंजाब